

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्र०-10/ल०ज०स०/लो०सू०को०/आई०डी०क्र०-120/2025-26

/पटना, दिनांक-

प्रपत्र 'घ'

(नियम4(1) देखें)

सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रेषक,

दिलीप कुमार चौधरी,

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री रूपेश कुमार सिंह,

महासचिव, मानवाधिकार संगठन

रघुचक, कटहरा, सुलतानगंज,

भागलपुर (बिहार), पिनकोड-813213,

मो०-9973551005

स्पीड पोस्ट

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका सूचना आवेदन दिनांक-18.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

दिलीप कुमार चौधरी,

सरकार के अवर सचिव,

-सह-

लोक सूचना पदाधिकारी,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक- 08/04/26

ज्ञापांक-

2325

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

लोक सूचना पदाधिकारी,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

Sun

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग।
प्र०-10/ल०ज०स०/CM-Letter-82/2026 2282 /पटना, दिनांक- 07/04/26

अधीक्षण अभियन्ता
योजना एवं स्थापना,
सह-नोडल पदाधिकारी,
(सी०एम०एस०/ई-डैसबोर्ड/जनतादरबार/सी०पी०ग्राम)
लघु जल संसाधन विभाग पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर।

विषय:- लघु सिंचाई विभाग द्वारा रघुचक से दक्षिण महारपुर के निकट नदी में हो रही पुलिया निर्माण में ठीकेदार द्वारा गलत सामग्री का प्रयोग करने की जाँच कर कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना का आई० डी० सं०-2026010302 दिनांक-17.03.26 के माध्यम से प्राप्त श्री रूपेश कुमार सिंह, महासचिव, मानवाधिकार संगठन रघुचक, कटहरा, सुलतानगंज, जिला भागलपुर का अभ्यावेदन दिनांक-13.03.26

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना का आई० डी० सं०-2026010302 दिनांक-17.03.26 के माध्यम से श्री रूपेश कुमार सिंह, महासचिव, मानवाधिकार संगठन रघुचक, कटहरा, सुलतानगंज, जिला भागलपुर का अभ्यावेदन दिनांक-13.03.26 विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसमें लघु सिंचाई विभाग द्वारा रघुचक से दक्षिण महारपुर के निकट नदी में हो रही पुलिया निर्माण में ठीकेदार द्वारा गलत सामग्री, स्टीमेट से ज्यादा बालू एवं सिमेंट कम देने तथा खराब ईट लगाने का आरोप लगाया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना स्थल पर लगाये जा रहे सामग्रियों की जाँच भागलपुर इंजिनियरिंग कॉलेज से कराते हुए योजना के प्रभारी सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता की सूचना के साथ प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-यथावत्।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियन्ता।
योजना एवं स्थापना,
सह-नोडल पदाधिकारी,
(सी०एम०एस०/ई-डैसबोर्ड/जनतादरबार/सी०पी०ग्राम)

लघु जल संसाधन विभाग पटना।
/पटना, दिनांक- 07/04/26

ज्ञापांक-

2282

प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल भागलपुर को प्रासंगिक पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथावत्।

अधीक्षण अभियन्ता
योजना एवं स्थापना,
सह-नोडल पदाधिकारी,

(सी०एम०एस०/ई-डैसबोर्ड/जनतादरबार/सी०पी०ग्राम)
लघु जल संसाधन विभाग पटना।

/पटना, दिनांक- 07/04/26

ज्ञापांक-

2282

प्रतिलिपि-अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/श्री रूपेश कुमार सिंह, महासचिव, मानवाधिकार संगठन रघुचक, कटहरा, सुलतानगंज, जिला भागलपुर को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
योजना एवं स्थापना,
सह-नोडल पदाधिकारी,

(सी०एम०एस०/ई-डैसबोर्ड/जनतादरबार/सी०पी०ग्राम)
लघु जल संसाधन विभाग पटना।